संख्या XII/2005/82(01)/2003

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उत्तरांचल,देहरादून.

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 16 फरवरी, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1390/पं.–2/लेखा/11 वां वित्त/04–05 दिनांक 18.02.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में 4583 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु कुल रू0 39.00 करोड (रूपये उन्तालीस करोड मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय आपके नियंत्रण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. पंचायत भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय ।

3. उक्त धनराशि की जनपदवार फाण्ट निर्धारित मानक के अनुसार आपने स्तर से करने का कष्ट करें तथा पंचायत भवन उन्ही पंचायतों में बनाया जायेगा जहाँ पर पूर्व से कोई पंचायत भवन निर्मित नहीं हों तथा बडी पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए ।

4. पंचायत भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जावेगा तथा इस संबंध में निदेशक पंचायत उत्तर प्रदेश के पत्रांक 5/1335/93–5/93 दिनांक 20.10.1993 एवं 5/रा0/704/98–5/61/98, दिनांक 09.03.1998 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एंव निर्धारित नक्शा एवं प्लिंथ एरिया के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी दशा में प्लिथं एरिया एवं नक्शें में परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. पंचायत भवनों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये/किये जा रहे दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा । आवंटित धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जावेगा तथा धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वित्तरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

क्रमशः...2...

8. . बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोरपरचेज रूल्स डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

9. धनराशि का आहरण /व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय ।

10. बजट/ धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुपूरक में अनुदान संख्या-19 के पूँजी लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-001-निदेशन तथा प्रशासन-02-अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-01- पंचायत भवन के निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य -03-पंचायत भवन निर्माण-24 वृहत् निर्माण कार्य -04-जनजाति उप योजना-01-पंचायत भवन निर्माण-24 -वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

12 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1331 /वित्त अनु-2/2005 दिनांक 16 मार्च, 2005 के द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव .

संख्या XII/2005/B2(01)/2003 तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,उत्तरांचल देहरादून ।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. आयुक्त, गढवाल एंव कुमाऊँ मण्डल ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
6. निदेशक, वित्त एवं कोषागार , 23 लक्ष्मी रोड उत्तरांचल देहरादून ।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उत्तरांचल ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा उत्तरांचल शासन ।
9. वित्त अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव ।